कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, द्वितीय तल, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल– 462 003)

क्रमांक 22 /सम्पदा– 12/2015 भोपाल, दिनांक 06/01/2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक,
उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट।

विषय– सम्पदा एप्लीकेशन के उपयोग में रखी जाने वाली सावधानियां।

उपर्युक्त विषयांतर्गत सर्विस प्रोवाईडर्स को निर्देशित करें कि Deed Draft करते समय प्रतिफल की राशि लिखने में विशेष सावधानी बरतें। यदि एक दस्तावेज की विषय–वस्तु सम्पत्ति एक से अधिक हों तो प्रत्येक सम्पत्ति के लिए प्रतिफल राशि का उल्लेख यथास्थिति पृथक–पृथक करते हुए, दस्तावेज के शीर्ष भाग पर कुल प्रतिफल राशि का ही उल्लेख किया जाए। उदाहरण के लिए यदि एक दस्तावेज की विषय–वस्तु सम्पत्ति ए तथा बी हैं और इनकी प्रतिफल राशि क्रमशः 8 लाख रूपए तथा 7 लाख रूपए हो, तो दस्तावेज के शीर्ष भाग पर कुल प्रतिफल राशि 15 लाख रूपए लिखी जाएगी।

Dipali Rastogi

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 23 /सम्पदा–12/2015 भोपाल, दिनांक 06/01/2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर – जिला उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।